25.02.2026

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्तागण श्री अजय त्रिपाठी एवं मनीष शर्मा उपस्थित। गत पेशी पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का अधिवक्ता वादीगण की ओर से जवाब पेश न कर सीधे मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वाद में गत पेशी दिनांक 17.02.2026 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में वादी से जिरह का अवसर बन्द कर दिया गया था। उक्त पेशी को प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक सहवन से कार्यस्थगन होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके, जिरह नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण को वादी गवाह से जिरह का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

उक्त तर्कों के विरोध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से तर्क पेश किया गया है कि वादीगण के गवाह से जिरह हेतु नियत दिनांक 17.02.2026 को न तो प्रतिवादीगण के अधिवक्ता न ही प्रतिवादीगण उपस्थित थे। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के गवाह से जिरह नहीं किये जाने से वाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कारित हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 17.02.2026 को पत्रावली वास्ते जिरह वादी साक्षी संख्या 1 तरूण जैन नियत थी। उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्तागण सहवन से कार्यस्थगन होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे। वादी साक्षी से यदि प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो वाद के न्यायोचित न्याय निर्णयन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र कॉस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने के कारण प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे **2,000/– रुपये** की कॉस्ट की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आगामी तारीख पेशी से पूर्व जमा करवा कर रसीद पेश करें तो उन्हें वादी साक्षी संख्या 1 तरूण जैन से जिरह का एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते पेश होने कॉस्ट अदायगी की रसीद एवं जिरह वादी साक्षी हेतु दिनांक ..... को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।